

भा.रा.रा.प्रा/प.का.ई./उज्जैन/पी.क्यू./

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी-म.प्र.
क्षेत्रीय कार्यालय,
भराराप्रा, भोपाल

प्रश्न सं. [क. 1211]

15/12/2025
दिनांक 22/11/2025

विषय : विधान सभा प्रश्न नम्बर 1211

सन्दर्भ : मध्यप्रदेश विधान सभा प्रश्न 1211 दिनांक 11.17.2025 ।

महोदय,

उरोक्त सन्दर्भित पश्न में दिए गए सन्दर्भ में जानकारी निम्नानुसार

स.क्र.	प्रश्न	उत्तर	
क	केंद्रीय सडक निधि अंतर्गत उज्जैन से गरोठ फोरलेन मार्ग का निर्माण किस एजेंसी/कंपनी के माध्यम से कराया गया है कार्य में लागत कार्य की शर्तें तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें ।	उज्जैन गरोठ फोरलेन निर्माण एजेंसी/कंपनी इस प्रकार है	
		पैकेज-1	जी.एच.व्ही. इंडिया प्रायवेट लिमिटेड. फस्ट फ्लोर, ए.एम.एल. सेंट 8 महाकाली केवेस रोड अन्धेरी ईस्ट मुम्बई 40093
		पैकेज-2	रवी इन्फ्राकोन. 95 हीरम मगरी सेक्टर-11, उदयपुर 313002
		पैकेज-3	एम.के.सी. एफ.पी. न. 661 एवं 662/2 वेवोल कोलवाडा रोड गांधिनगर गुजरात इंडिया पिन-382016
		पैकेज-1	कुल प्रशासकिय स्वीकृत 909.84
		पैकेज-2	कुल प्रशासकिय स्वीकृत 876.37
		पैकेज-3	कुल प्रशासकिय स्वीकृत 823.04
	कुल प्रशासनिक स्वीकृत	2609.25 करोड	
ख	उक्त एक्सप्रेस मार्ग में रोड में अनेक जगह बड़े-बड़े गड्ढे टेपर बन गए है, जिस कारण कई दुर्घटनाएं हो गई है उक्त मार्ग निर्माण की कई शिकायतें विभाग को की गई है क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त शिकायतों की जांच करवाई गई है। यदि हां तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है।	वर्षा काल में मार्ग पर कुछ स्थानों पर settlement पाया गया जिसका वर्षा काल के उपरान्त संधारण कार्य किया गया तथा अनुबंध के प्रावधान अनुसार प्रति 6 माह में NSV टेस्ट किया जाना प्रस्तावित है जिसे Profile जांच की जाती है। उक्त मार्ग पर अक्टूबर माह में स्वतंत्र अभियंता द्वारा सर्वे कर निर्माण एजेंसी को संधारण हेतु लेख किया गया है। जिसका कार्य प्रगतिरत है जिसे शीघ्र पूर्ण किया जाएगा।	
ग	क्या उक्त मार्ग की उच्च स्तरीय टीम गठित कर जांच करवाएंगे यदि हां तो कब तक । क्या त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य करने पर कार्य एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा		

यह प्रोजेक्ट डायरेक्टर की स्वीकृति उपरान्त से जारी किया जा रहा है.

भवदीय

(प्रबंधक तकनीकी)

भाराराप्रा पकाई उज्जैन

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश सरकार, भोपाल